

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.न. 25/18

सरकार

बनाम श्री : प्रताप पुत्र मोहनलाल
जगति जाटव
निवासी नौगाँव

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 31-07-18


पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री प्रताप पुत्र श्री मोहनलाल जाति जाटव निवासी नौगाँव तहसील महवा ने संवत् 2075 फसल रवि/ खरीफ में ग्राम नौगाँव की राजकीय आराजी खसरा नं. 599 रकबा 0.58 किस्म जे-मु.रास्ता भूमि से 50m² रकबा पर अनाधिकृत रूप से पापकईधनडल कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जान के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.14 का 50 गुना 7रु. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली / फसल नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

तहसील महवा जिला दौसा

118
रजिस्टर मांग के वेज नं०.....में पेनल्टी/फसल नीलामी
वर्ष...2018...की राशि तादादी रूपये...0.7...
...कायमी की गई।
